प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण,

उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 15 अप्रैल, 2020**

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में 03-वसीका कार्यालय, लखनऊ के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 06 माह की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में वसीका कार्यालय, लखनऊ के संचालन हेतु अनुदान संख्या-048 के लेखा शीर्षक-2075-800-03 के मानक मद के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 67.00 (सरसठ लाख मात्र) के सापेक्ष 06 माह हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 33.50 लाख (रूपये तैंतीस लाख पचास हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-
800-अन्य व्यय-
03- वसीका कार्यालय, लखनऊ –

धनराशि (रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मद का नाम	वर्ष 2020-21 का बजट प्राविधान	वर्ष 2020-21 के लिये प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 06 माह हेतु स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
1	01-वेतन	45.32	22.66
2	02-मजदूरी	0.10	0.050
3	03-मंहगाई भत्ता	11.33	5.665
4	04-यात्रा-व्यय	0.05	0.025
6	06-अन्य भत्ते	1.00	0.500
7	07-मानदेय	0.05	0.025
8	08-कार्यालय-व्यय	0.03	0.015
9	09-विधुत देय	0.20	0.100
9	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.15	0.075
10	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50	0.250
11	13-टेलीफोन पर व्यय	0.10	0.050
13	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवा के लिए भुगतान	0.50	0.250
14	17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	0.02	0.010
17	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.05	0.025
18	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.10	0.050

http://shasanadesh.up.gov.in

19	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	1.00	0.500
20	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.40	0.200
21	49-चिकित्सा व्यय	2.00	1.00
22	51-वर्दी व्यय	0.10	0.050
23	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.00	0.00
24	55-मकान किराया भत्ता	2.80	1.400
25	56-नगर प्रतिकर भत्ता	1.20	0.600
	योग	67.00	**33.50**

1- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

2- वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा।

3- किसी भी दशा में उक्त धनराशि किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा। उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है । जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

2- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-048 के लेखा शीर्षक-2075-विविध सामान्य सेवाएं-800-अन्य व्यय-03- वसीका कार्यालय, लखनऊ की सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या-543(1)/बावन-1-2020- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- वित्त(ई-4) अनुभाग /वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in